

मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण योजना)

प्रलिस के लयः

बच्चों से संबधति मुददे, केंद्र परायोजति योजना, कुपोषण, सर्व शकिषा अभयान ।

मेन्स के लयः

मध्याह्न भोजन योजना और संबध चुनौतयिाँ ।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में वतित मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रतबिचचा खाना पकाने की लागत में **9.6% की बढोतरी को मंजूरी दी है** ।

- वर्ष 2020 की शुरुआत में पछिली बढोतरी के बाद से प्राथमकि कक्षाओं (कक्षा I-V) में खाना पकाने की लागत 4.97 रुपए प्रतबिचचा और उच्च प्राथमकि कक्षाओं में 7.45 रुपए (कक्षा VI-VIII) रही है । बढोतरी के प्रभावी होने के बाद प्राथमकि स्तर तथा उच्च प्राथमकि स्तर पर यह लागत क्रमशः 5.45 रुपए एवं 8.17 रुपए होगी ।

मध्याह्न भोजन योजना (Midday Meal Scheme)

परचियः

- मध्याह्न भोजन योजना (शकिषा मंत्रालय के तहत) एक [केंद्र परायोजति योजना](#) है जसिकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी ।
- यह प्राथमकि शकिषा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लयि विश्व का सबसे बडा वदियालय भोजन कार्यक्रम है ।
- इस कार्यक्रम के तहत वदियालय में नामांकति I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान कयिा जाता है ।
- वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' योजना (पीएम पोषण योजना) कर दयिा गया और इसमें पूर्व-प्राथमकि कक्षाओं के बालवाटकि (3-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे) के छात्र भी शामिल हैं ।

उददेशयः

- भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थति में वृद्धि, जातयिों के बीच समाजीकरण में सुधार, वशिष रूप से महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना ।

गुणवत्ता की जाँचः

- एगमार्क गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समतिके दो या तीन वयस्क सदस्योँ द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है ।

खाद्य सुरक्षाः

- यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता या कसिी अन्य कारण से कसिी भी दनि स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं करायिा जाता है, तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी ।

वनियमनः

- राज्य संचालन-सह नगिरानी समति (SSMC) पोषण मानकोँ और भोजन की गुणवत्ता के रखरखाव के लयि एक तंत्र की स्थापना सहति योजना के कार्यानवयन की देखरेख करती है ।

पोषण स्तरः

- प्राथमकि (I-V वर्ग) के लयि 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमकि (VI-VIII वर्ग) के लयि 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकोँ वाला पका हुआ भोजन ।

कवरेजः

- सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे एवं मकतब जो [सर्व शकिषा अभयान](#) (SSA) के तहत समर्थति हैं ।

मुददे और चुनौतयिाँ:

- **भ्रष्ट आचरण:**
 - नमक के साथ सादे चपाती परोसे जाने, दूध में पानी मलाने, फूड प्वाइज़नगि आदि के उदाहरण सामने आए हैं।
- **जाति पूरवाग्रह और भेदभाव:**
 - भोजन जाति व्यवस्था का केंद्र है, इसलिये कई स्कूलों में बच्चों को उनकी जातिकी स्थितिके अनुसार अलग-अलग बैठाया जाता है।
- **कोवडि-19:**
 - **कोवडि -19** ने बच्चों और उनके स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी अधिकारों के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
 - राष्ट्रव्यापी **लॉकडाउन** ने **मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meals)** सहित कई आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बाधित कर दिया है।
 - हालाँकि इसके बजाय परिवारों को **सूखा खाद्यान्न (Dry foodgrains)** या **नकद हस्तांतरण प्रदान** किया जाता है, साथ ही इसका स्कूल परिसर में गर्म पके हुए भोजन के समान प्रभाव नहीं होगा, **वशेष रूप से उन लड़कियों के लिये जो घर पर अधिक भेदभाव** का सामना करती हैं तथा अधिकांश को स्कूल बंद होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा।
- **कुपोषण का खतरा:**
 - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5** के अनुसार, देश भर के कई राज्यों ने पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए बाल कुपोषण के बगिड़ते स्तर को दर्ज किया है।
 - भारत दुनिया के लगभग **30% अवकिसति बच्चों** और पाँच वर्ष से कम उम्र के लगभग **50% गंभीर रूप से कमज़ोर बच्चों** का केंद्र है।
- **वैश्विक पोषण रपिर्ट-2020:**
 - **'वैश्विक पोषण रपिर्ट-2020'** के अनुसार, भारत वशिव के उन 88 देशों में शामिल है, जो संभवतः वर्ष 2025 तक 'वैश्विक पोषण लक्ष्यों' (Global Nutrition Targets) को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे।
- **'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' (GHI)- 2020:**
 - **'वैश्विक भुखमरी सूचकांक- 2020'** में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है। भारत भुखमरी सूचकांक में 'गंभीर' (Serious) श्रेणी में है।

आगे की राह

- लड़कियों और युवतियों के मां बनने के वर्षों पूर्व **मातृत्व सुरक्षा और शिक्षा में आवश्यक सुधार** किया जाना चाहिये।
 - **बौनापन (स्टंटगि) के वरिद्ध लड़ाई अक्सर छोटे बच्चों के लिये पोषण को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती** है, लेकिन पोषण विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से मानना है कि मातृ स्वास्थ्य और कल्याण उनकी संतानों में बौनापन (स्टंटगि) को कम करने की कुंजी है।
- **अंतर-पीढ़ीगत लाभों के लिये मध्याह्न भोजन योजना के वसितार एवं सुधार की आवश्यकता है।** जैसे-जैसे भारत में लड़कियाँ स्कूल स्तर की पढ़ाई पूरी करती हैं, उनकी शादी हो जाती है और कुछ ही वर्षों के बाद वे संतान को जन्म देती हैं, इसलिये स्कूल-आधारित हस्तक्षेप वास्तव में मदद कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस